भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(126)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

निगरानी प्रकरण क्र... .../16 नि.-2415-II-16

कैंप भोपाल में प्राप्त 19-7-16

महेश आ.श्री मुल्ला आयु व्यस्क जाति बलाई
कृषक एवं निवासी ग्राम महोड़िया
तहसील सीहोर जिला–सीहोर म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

(129)

म.प्र.शासन ....प्रतिनिगरानीकर्ता

श्री समीर साहू अभिभाषक द्वारा आज क्रि. 127/16 को पेश। 12/7/16

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 195
विरूद्ध आदेश दिनांक 06/06/2016 जो प्रकरण
14/स्वनिगरानी/2015–16 में अधीनस्थ न्यायालय
कलेक्टर सीहोर द्वारा पारित आदेश को अपास्त किये
बाबत्

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न त एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता हैं –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीहो समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2015 को अंतर्गत धारा 165(7) अंतर्गत प्रस्तुत कर ग्राम महोडिया स्थित भूमि सर्वे नं.208/6 रकबा 0. हेक्टेयर से संबंधित राजस्व प्रपत्रो में अहस्तांतरणीय प्रविष्टी विलोपित जाने बाबत् प्रस्तुत किया था।

2. यह कि अनुविभागीय अधिकारी सीहोर द्वारा दिनांक 31.12.201 आवेदन स्वीकार कर कृषि भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत 88,440/–रूपये जमा किये जाने पर वांछित सहायता प्रदान की थी परिपालन में निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 13.01.2016 को समुचित 88,440/–रूपये का चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। दिनांक को ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त भूमि से संबंधित अभिलेख में अहस्तांतरणीय शब्द विलोपित करने का आदेश प्रदान किया

3. यह कि अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा उक्त आदेश को स्वप्रेरणा नि में लेकर दिनांक 06.06.2016 को निरस्त किये जाने का त्रुटिपूर्ण आदेश किया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी जिसे इस निगरानी के माध्यम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2415–दो/16 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५–9–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 14/स्व0निग0/15–16 में पारित आदेश दिनांक 06–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक महेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष ग्राम महोड़िया तहसील सीहोर स्थित भूमि खसरा कमांक 208/6 रकबा 0.804 भूमि का पट्टा शासन द्वारा प्राप्त होकर अहस्तांरणीय प्रविष्टि अंकित थी। आवेदक द्वारा म0प्र0 राजपत्र दिनांक 21–8–15 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2015 (कं. 5 सन् 2015) द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) संशोधित करते हुये यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकारों में भूमि धारण करता है तो उपखण्ड अधिकारी का अधिकार अभिलेख तथा भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में ''अहस्तांतरणीय'' के रूप में अभिखित प्रविष्टि को हटाने के लिए आवेदन	

कर सकेगा और उपखण्ड अधिकारी, आवेदक को ऐसी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दस प्रतिशत समतुल्य राशि का भुगतान सरकारी कोषालय में करने का निर्देश देगा और ऐसा भुगतान कर दिये जाने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी ऐसी प्रविष्ट को हटाने के लिए आदेश पारित करेगा।" के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर अवेदक को 10 प्रतिशत राशि शीर्ष 0029 भू0 राजस्व 800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत चालान द्वारा जमा कराकर चालान प्रति प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त अंतरिम आदेश के पालन में आवेदक द्वारा चालान से राशि जमा कर प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13–1–2016 को खसरे से अहस्तांतरणीय विलोपित किये जाने के आदेश दिये, परन्तु अपर कलेक्टर सीहोर ने अपने आदेश दिनांक 6–6–16 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 13–1–16 को आदेश पारित अधिकारी क्षेत्र से बाहर (अध्यादेश दिनांक 21–8–15 से 31–12–15) के पश्चात पारित किये जाने से निरस्त किया है। अपर कलेक्टर ने इस महत्वपूर्व तथ्य की ओर से ध्यान नहीं दिया कि आवेदक का आवेदन अध्यादेश अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था तथा यदि उक्त अवधि के भीतर यदि आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ शुरू कर दी

जाती है तब उक्त अध्यादेश के तारतम्य में ही आदेश पारित करने के अधिकारिता रहती है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक 530 दिनांक 31–12–2015 में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 247 (2) में यह प्रतिपादित किया गया है कि –''उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।''

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक 530 दिनांक 31–12–2015 के आदेश के तारतम्य में आवेदक के आवेदन पर विचार कर आदेश पारित किया गया था जिसे अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर कलेक्टर सीहोर का आदेश दिनांक 06–6–2016 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2016 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य